

विकलांगता संबंधी भेदभाव अध्यादेश और मैं

यह लघुपत्र समान अवसर कमिशन के द्वारा तैयार किया गया है। यह विकलांगता भेदभाव अध्यादेश के अन्तर्गत लोगों के अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी देता है। समान अवसर आयोग ने एक कुशल प्रबन्धन अभ्यास श्रृंखला तैयार किया है जिसमें विकलांगता भेदभाव अध्यादेश और रोजगार पर कार्य प्रणाली के संहिता से संबंधित सूचना के लघुपत्र शामिल है। संबंधित संस्थाओं को इस विषय पर सलाह देने के लिए धन्यवाद देता है।

अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क करें:

Equal Opportunities Commission

16/F., 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang,

Hong Kong

Tel: 2511-8211

वेबसाईट <http://www.eoc.org.hk>

Q: विकलांगता भेदभाव अध्यादेश (DDO) क्या है?

A: यह एक ऐसा कानून है जिसका निर्माण ऐसे व्यक्ति को जिसे विकलांगता है उसे उत्पीड़न और निन्दा से बचाने के लिए किया गया है।

Q: DDO के अनुसार विकलांगता क्या है?

A: DDO के अन्तर्गत विकलांगता का अर्थ, किसी व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक क्रियाओं का पूरा या आंशिक क्षय, शरीर के अंग का कुल या आंशिक हानि, बीमारी या रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं की उपस्थिति (जैसे कि HIV), किसी व्यक्ति के शरीर का एक भाग का ठीक प्रकार न चलना या कोई अंग का अच्छी तरह से विकास न होना या विगड़ जाना, कोई खराबी या बीमारी जो किसी व्यक्ति के वास्तविकता बोध करने की क्षमता और मनोभावों प्रभावित करता हो, या विक्षुल्य व्यवहार या सीखने में कठिनाइयां पैदा करता हो। ऐसी विकलांगता के अलावा विगत के विकलांगता जो अब नहीं है या ऐसी विकलांगता जो भविष्य में हो सकती है या जो व्यक्ति पर आरोपित हो वो सब शामिल होता है।

Q: अगर मुझे विकलांगता है तो क्या मैं DDO के अन्तर्गत संरक्षित हूँ।

A: यह कानून विकलांगता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव से बचाता है। अगर आपको विकलांगता है, तो आप को निश्चित रूप से DDO के अन्तर्गत संरक्षण मिल जाता है। अगर आपको विकलांगता नहीं है भी तो आप को कानून के अन्तर्गत संरक्षण मिल जाता है, यदि:

* आपका साथी/संबंधी में विकलांगता है और उसके साथ आपकी संसर्ग की वजह से आप

पर भेदभाव किया जाता है। साथी/संबंधी के अन्तर्गत आपका पति/पत्नी, रिश्तेदार, आपका देखभाल करने वाला व्यक्ति, आपके साथ रहने वाला व्यक्ति या आपका व्यापार, खेल या विश्राम का साथी पड़ते हैं।

- * आप पर विकलांगता का आरोप लग जाता है, और इसके कारण आप से भेदभाव किया जाता है।
- * ऐसा विश्वास किया जाता है, कि आने वाले दिनों में आप को कोई विकलांगता हो सकती है और आपसे इस कारण ही भेदभाव किया जा सकता है।

Q: भेदभाव क्या है?

A: भेदभाव दो तरह के होते हैं — प्रत्यक्ष भेदभाव और अप्रत्यक्ष भेदभाव।

प्रत्यक्ष भेदभाव तब होता है जब किसी व्यक्ति जिन्हे विकलांगता है उसके साथ विकलांगता के आधार पर विकलांगता के विनाके व्यक्ति की तुलना में कम हितकारी व्यवहार किया जाता है।

अप्रत्यक्ष भेदभाव उस समय होता है जब कोई एक शर्त या जरूरत जो तर्कसंगत न हो हरेक पर लागू होता है, लेकिन व्यवहार में यह उन व्यक्ति जिन्हे विकलांगता है उन्हे बुरी तरह प्रभावित करती है।

Q: उत्पीड़न क्या है?

A: किसी व्यक्ति के विकलांगता के आधार पर उनपर किसी भी प्रकार का अप्रिय व्यवहार जो समझदारीसे बिचार कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को दुःखदाई, अपमानजनक या डरावना लग सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की विकलांगता पर भद्रे टिप्पणियां या गंदे मजाक करना आदि। **DDO** के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिन्हे विकलांगता है उन के विरुद्ध उत्पीड़न करना गैर कानूनी है।

Q: निन्दा करना क्या है?

A: यह सार्वजनिक रूप में किए जाने वाले एक ऐसी क्रिया है जो उन व्यक्ति जिन्हे विकलांगता है का भद्वा मजाक, गंभीर घृणा, और अपमान करने के लिए उकसाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप में भाषण दे कि उन व्यक्ति जिन्हे विकलांगता है वो समाज में व्यर्थ और एक बोझ है तो इससे निन्दा बढ़ सकता है। ऐसे लोगों को जिन्हे विकलांगता है उन के विरुद्ध उकसाना **DDO** के अन्तर्गत अवैधानिक है।

Q: क्या हांगकांग के सभी रोजगारदाताओं पर **DDO** लागू होता है?

A: हांगकांग के सभी रोजगारदाताओं पर **DDO** लागू होता है, सिवाय उनके जिनके कर्मचारी पुरी तरह या मुख्यतः हांगकांग से बाहर काम करते हैं।

Q: अगर मुझे विकलांगता है तो कानून के अन्तर्गत मुझे किस तरह संरक्षण मिल सकता है?

A: कानून के अन्तर्गत आपको निम्न क्षेत्रों में भेदभाव, उत्पीड़न और निन्दा से संरक्षण मिलता है:

- * रोजगार (साझेदारी, ट्रेड यूनियन सदस्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इत्यादि)
- * शिक्षा
- * परिसरों का प्रबंधन तथा निपटान¹
- * वस्तुओं, सुविधाओं, या सेवाओं का प्रावधान
- * बैरिस्टर्स की तरह प्रैक्टिस करना²
- * कलबों और खेलकुद की क्रियाये

यह संरक्षण साथी/संबंधी पर भी लागू होता है।

Q: अगर मुझे विकलांगता है तो क्या कोई रोजगार दाता मुझे नौकरी से हटाने या नौकरी देने से इनकार कर सकता है?

A: विकलांगता के आधार पर किसी नौकरी के आवेदक के साथ या किसी कर्मचारी के साथ भेदभाव करना रोजगारदाता के लिए अवैधानिक होगा। हालांकि कुछ परिस्थितियों में रोजगारदाता यह उल्लेख कर सकता है कि कोई काम के लिए कुछ विशेष विकलांगता के व्यक्ति आवेदन न दे क्युंकि :

(1) ऐसा व्यक्ति किसी विशेष नौकरी के अन्तर्निहित जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होगा। उदाहरण के लिए कोई भी रोजगारदाता यह उल्लेख कर सकता है कि व्हील चेयर प्रयोग करने वाला व्यक्ति व्यायामशाला प्रशिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन न दे क्युंकि वंहा की एक मुख्य जरूरत यह है कि उसे शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त और स्फुर्तिमान होना होगा जिससे कि वो लोगों को व्यायामशाला के उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में बता सके और उनकी कार्य प्रणाली समझा सके।

(2) किसी नौकरी के लिए विकलांगता न होना एक वास्तविक व्यावसायिक योग्यता है। उदाहरण के लिए किसी नौकरी में शारीरिक बनावट के कारण या नाटकीय प्रदर्शनों में वास्तविकता के प्रदर्शन के लिए विकलांगता न होना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी नाटकीय प्रदर्शन के लिए अच्छी दृष्टीवाला व्यक्ति कि जरूरत हो तो कोई आदमी जो भली प्रकार देख नहीं सकता है उसे नौकरी न देजा सकती है।

Q: किसी भी नौकरी के अन्तर्निहित जरूरत क्या है?

A: किसी भी नौकरी के लिए अन्तर्निहित जरूरते ऐसे होते हैं जो नौकरी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग जिनमें विकलांगता रहती है उनकी सन्दर्भ में यह ध्यान रखनी होगी कि नौकरी के लिए अपनाए गए पद्धतियों और नौकरी के लक्ष्यों के बीच उलझन न हो। नौकरी के लिए अपनाए गए पद्धतियों नौकरी के अन्तर्निहित जरूरत नहीं है। इस बात को निश्चित करने के लिए कि क्या उन व्यक्ति, जिन्हे विकलांगता है, किसी नौकरी या पद की आन्तरिक जरूरते पूरी कर सकता है या नहीं, किसी भी रोजगार दाता को निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा।

¹ परिसरों को ऐसे स्थानों के रूप में मापा जाता है जहाँ सार्वजनिक लोग जा सकते हैं

² किसी प्यूपिलेज और प्रशिक्षण का कोई प्रस्ताव जो बैरिस्टर्स को दिया जाता है

- * किसी भी व्यक्ति का पिछला प्रशिक्षण, योग्यता और अनुभव जो विशेष प्रकार के रोजगार से संबंधित है
- * किसी कार्यरत कर्मचारी के संदर्भ में उसके कार्य प्रदर्शन, और
- * अन्य संबंधित कारक तत्व

उदाहरण के लिए, किसी वितरण कामदार को जिसे 50kg वस्तु उठाने की जरूरत है, उसके लिए 50kg उठाने की क्षमता नौकरी के अन्तर्निहित जरूरत है। शारीरिक रूप से सक्षम होना या बिना किसी बीमारी के रहना इस नौकरी के लिए अन्तर्निहित जरूरत नहीं हो सकती।

(विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ईओसी द्वारा प्रकाशित कुशल प्रबन्धन अभ्यास शृंखला देखें)

Q: क्या कोई शैक्षिक संस्था या सेवा प्रदाता मुझे विकलांगता के आधार पर सुविधाओं या सेवाओं प्रदान करने से इनकार कर सकता है?

A: सेवा प्रदाता के लिए विकलांगता के आधार पर सुविधाओं या सेवाओं प्रदान करने से इनकार करना गैरकानूनी होता है। किसी शैक्षिक संस्था के द्वारा विकलांगता के आधार पर किसीको भर्ती न करना या किसी छात्र का निष्कासित करना गैरकानूनी होता है।

फिर भी, अगर कोई छात्र, अपनी विकलांगता की वजह से, किसी शैक्षिक संस्था द्वारा निर्धारित उचित जरूरतों को पूरा कर नहीं पाता है तो वह शिक्षण संस्था, उस छात्र को प्रवेश दिलाने से मना कर सकती है।

Q: क्या DDO सरकार द्वारा किए गए भर्ती अभ्यासों और प्रदान किए गए विभिन्न सुविधाओं या सेवाओं के लिए संरक्षण प्रदान करता है?

A: किसी भी रोजगारदाता के लिए यह अवैधानिक होगा कि वो भर्ती अभ्यासों में भेदभाव करें और यह सरकार द्वारा किए गए अभ्यासों और नौकरियों पर भी लागू होता है। यह सरकार के लिए अवैधानिक होगा अगर वह अपने कार्यों या अधिकारों के पालन के दौरान किसी व्यक्ति जिन्हे विकलांगता है के साथ भेदभाव करें, सिवाय उस कार्य में जो कि किसी अप्रवास कानून से संबंधित है, जो हांगकांग में आगमन और प्रस्थान से संबंधित है, या कोई ऐसा कार्य जो किसी वर्तमान वैधानिक प्रावधान की जरूरतों के अनुसार किया जाता है।

Q: अगर मुझे कोई संक्रामक बीमारी हो गई हो तो क्या कोई रोजगारदाता मुझे नौकरी से निकाल दे सकता है?

A: सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए समुचित रूप से जरूरी हो तो अगर किसी कर्मचारी को संक्रामक बीमारी लगे तो उस पर भेदभाव करना अवैधानिक नहीं है। DDO के अन्तर्गत "संक्रामक बीमारियों" का अर्थ वे बीमारियों हैं जिन्हे रोग अवलोकन (क्वांटेन्टाइन) और रोग निवारण अध्यादेश के प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है (उदाहरण के लिए क्षय रोग और और वायरल हेपाटाईटिस) या कोई ऐसी संक्रामक बीमारी जिसे कि सरकारी गजट में सरकारी स्वास्थ्य

निदेशक द्वारा उल्लिखित किया गया है।

Q: क्या किसी निश्चित प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति कोही वस्तुओं, सेवाओं या सुविधाओं, या अवसरों को देना वैधानिक है?

A: उन व्यक्तिओं जिन्हे विकलांगता है और उन्हे जिन्हे नहीं है के बीच समान अवसर प्रदान करने के लिए डीडीओ को लागु किया गया था। अगर उन व्यक्तिओं जिन्हे विकलांगता है को वस्तुओं, सेवाओं या सुविधाओं, या अवसरों दे जिससे कि उनकी विशेष जरूरते पूरी की जा सके जो रोजगार, शिक्षा, कलबो या खेलकूद, या परिसरों के प्रावधान, वस्तुओं, सेवाओं या सुविधाओं से है या फिर उन्हे स्वतंत्र रूप में अपनी प्रतिभाओं का विकास करने में मदद करें तो यह गैर कानूनी नहीं है।

Q: अगर मेरे साथ भेदभाव किया जाए तो मैं क्या करूँ?

A: आप इनमें से कोई एक या ज्यादा कार्यों को कर सकते हैं:

- * अगर शिकायत नौकरी से संबंधित है तो आप अपने व्यवसाय संगठन के प्रबंधक वर्ग से शिकायत दर्ज करा सकते हैं या अपने कर्मचारी संगठन या यूनियन से सहायता ले सकते हैं।
- * अगर शिकायत वस्तुओं सेवाओं, सुविधाओं या किसी शैक्षिक संस्था से संबंधित है तो आप सेवा प्रदाता से शिकायत कर सकते हैं या सेवा सुधार के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- * साथ ही आप समान अवसर कमिशन (ईओसी) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- * अपना मुकदमा न्यायालय में दर्ज करा सकते हैं।

आपके साथ घटी घटनाओं आपके दिमाग में ताजा रहते ही अभिलेख कीजिए ताकि भविष्य में अगर आप शिकायत दर्ज कराना चाहे तो इन वृत्तान्तों को याद कर सकते हैं। अगर आप को किसी ने भला—बुरा कहके भेदभाव किया है तो आप जरूर से हरेक शब्द को अभिलेख कीजिए। यह विशेष रूप में उस वक्त आवश्यक है जब आपको ऐसा लगे कि सार्वजनिक रूप में आपका निन्दा हुआ है।

Q: अगर मुझे भेदभाव कि महसुस हो तो क्या शिकायत दर्ज कराने के लिए समय सीमा होगी?

A: अगर आप ईओसी में शिकायत दर्ज कराना चाहते हो तो आपको घटना के 12 महीनों के भीतर ऐसा करना होगा। अगर आप कानूनी कार्यवाहियों को जिला न्यायालय में ले जाना चाहते हैं तो, आपको घटना के 24 महीनों के भीतर ऐसा करने की जरूरत है।

Q: ईओसी किस प्रकार किसी विवादकी सुलह करता है?

A: कानून के प्रावधान के अन्तर्गत ईओसीको जरूरी होता है वह शिकायतकर्ता और बिपक्षी बिच सुलह के द्वारा समझौता कराने की प्रयास करें। सुलह एक स्वेच्छिक प्रकृत्या है जहां पे दोनों पक्षों सुलहकर्ता, जो ईओसी के कर्मचारी हो, के माध्यम से समझौता करते हैं। सुलह के वक्त सुलहकर्ता किसी भी पक्ष के वकालत नहीं करता है और निष्पक्ष कार्य सहयोगी के रूप में कार्य करता है। सुलहकर्ता दोनों पक्षोंकी इस प्रकार सहायता करता है कि वे उन मुद्दों की जांच

करें जो शिकायत का कारण बनी, समझौते के बिन्दु पहचानें और इस विवाद को सुलझाने के लिए किसी सुलह के लिए बातचीत करे। अगर समझौता हुआ तो सुलह के नतीजे पे लिखित रूप में दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करनी चाहिए। निर्णय समझौता इकरारनामा के समान होते हैं और कानूनी तौर पर मान्य होते हैं। समझौते अलग किस्म के होते हैं और और उनमें क्षमा—याचना, वित्तीय क्षतिपूर्ति, समान अवसर नीतियों को लागू कराने आदि का प्रावधान हो सकता है। ईओसी शिकायतकर्ता और बिपक्षी के बिच अच्छे तरीके से सुलह कराने की प्रयास करता है।

Q: अगर सुलह असफल हो जाए तो ईओसी हमारे लिए क्या कर सकता है?

A: अगर सुलह द्वारा शिकायत की सूलह न हो पाए तो अदालत जाने के लिए कानूनी सहायता के लिए आप ईओसी में अनुरोध कर सकते हैं। सहायता कार्यों के अन्तर्गत कानूनी सलाह देना, ईओसी के वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व करना, बाहर के वकीलों द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व करना या किसी भी रूप में ऐसी सहायता जिसे ईओसी उचित समझे पड़ता है। ईओसी की एक समिति सभी प्रकार के आवेदनों पर विचार करता है।

Q: अगर मैं पीड़ित पक्ष नहीं हूँ तो क्या मैं शिकायत दर्ज करा सकता हूँ?

A: हॉ कानून के अनुसार कोई भी शिकायत किसी पीड़ित व्यक्ति के जरिये या एक प्रतिनिधि शिकायत द्वारा जारी की जा सकती है। एक प्रतिनिधि शिकायतकर्ता को यह प्रमाणित होगा कि उसको पीड़ित व्यक्ति जिन्हे विकलांगता है की ओर से प्राधिकरण प्राप्त है। अगर आपको अधिकार नहीं दिया गया है तो भी आप ईओसी को अपने शिकायत की खबर दे सकते हैं।

Q: अगर किसी की गवाह होने से या कोई मित्र या सहकर्मी जिसने शिकायत दर्ज की हो उनको जानकारी देनेसे मुझपर भेदभाव किया जाए तो क्या ईओसी मेरा सहयोग करेगा?

हॉ। अगर आपके साथ ऐसा हो तो यह “पीड़ित बनाया जाने” जैसा है जो DDO के अन्तर्गत एक प्रकार का गैरकानूनी भेदभाव है। इस अवस्था में आप कानून के अन्तर्गत संरक्षित हैं और आप को तुरन्त अपने शिकायत देख रहे अपने कार्यालय की अधिकृत, कर्मचारी प्रतिनिधि, वकिल या ईओसी को आपके द्वारा चुने गये रास्ते के अनुसार तुरन्त जानकारी देना होगा।

Q: अगर मैं कोई शिकायत दर्ज कराना चाहूँ तो कौनसी जानकारियाँ देनी होगी?

A: आपको शिकायत लिखित रूप में दर्ज कराना होगा और निम्न सूचना प्रस्तुत करना होगा—
— तारीख और ब्यौरा।

- आपकी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, संपर्क सूचना, विकलांगता की स्थिति इत्यादि)
- उत्तरदाताओं के नाम (किसी व्यक्ति या कम्पनी का नाम) और संपर्क जानकारी,
- भेदभाव, उत्पीड़न और पिड़ीत किए जाने की दावे को समर्थन देने वाली जानकारी
- भेदभाव के कारण आप पर पड़ा कोई भी भावनात्मक असर और क्षति के विवरण
- गवाहों पर जानकारी

अगर आपको लिखित शिकायत की तैयारी करने में कठिनाइ हो तो ईओसी के कर्मचारी आपकी सहायता कर सकता है।

Q: कौनसी परिस्थितियाँ में ईओसी मेरे शिकायत की छानबीन को बन्द कर देगा?

A: ईओसी शिकायत पर छानबीन करने या फिर इसे बंद करने का फैसला तक करेगा जब:

- DDO के अन्तर्गत शिकायत गैरकानूनी न हो तो।
- पीड़ित व्यक्ति को छानबीन जारी रखने की इच्छा न हो।
- घटना के घटे हुए 12 महिने बीत चुके हैं।
- इस शिकायत को उचित रूप से एक प्रतिनिधि शिकायत नहीं माना जा सकता है।
- यह शिकायत ओछा, तगं करने के हेतु से प्रस्तुत या अर्थहीन है।

समान अवसर कमिशन

2008